न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः प्रियंका कड़ेला, आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रकरण संख्या 7/2020

मोहनी देवी

बनाम

धारा सिंह आदि

आदेश

दिनांकः 14-1-26

यह आदेश द्वारा अप्रार्थीगण धारा सिंह आदि की ओर से दिनांक 3.7.2025 को पेश किए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है, अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण का दिनांक 5.10.2017 को निस्तारण हो चुका है, निर्णय दिनांकित 5.10.2017 के विरुद्ध मोहनी देवी द्वारा संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां दिनांक 15.12.2017 को अपील उनवानी मोहनी देवी बनाम धारा सिंह प्रस्तुत की जा चुकी है, जो विचाराधीन है । इसके बावजूद भी मोहनी देवी द्वारा अपील के विचाराधीन रहते हुए भी वेग आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जबकि मामले में एक बार निर्णय हो जाने के उपरान्त अपील में जाए बिना उसे फिर उसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अपील विचाराधीन रहते हुए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर तथा विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किए जाने योग्य है और इसी आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रार्थीया मोहिनी देवी की ओर से अपने जवाब में बताया गया है कि धारा सिंह आदि द्वारा यह प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया गया है । जबकि धारा 11 सी.पी.सी. के लिए पूर्व निर्णीत प्रार्थना पत्र व वर्तमान विचाराधीन प्रार्थना पत्र में समान पक्षकार होने चाहिए तथा विवाद बिन्दु समान

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with OKEN Scanner

होने चाहिए । उसी हालत में धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होते हैं तथा धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान केवल वाद पत्र पर ही लागू होते हैं । प्रार्थना पत्रों पर धारा 11 सी.पी.सी. के कोई प्रावधान लागू नहीं होते हैं । धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र दावा नहीं होकर मात्र प्रार्थना पत्र है । ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया गया है और प्रार्थना पत्र दिनांकित 3.7.2025 अंतर्गत धारा 11 सी.पी.सी. खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

बहस पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र व उसके जवाब में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस के दौरान दोहराया गया है ।

हमारे द्वारा पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन पत्रावली यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया मोहनी देवी द्वारा मौके के अनुसार नक्शा ट्रैस में तरमीम कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उक्त तरमीम न्यायालय के आदेश दिनांक 5.7.2017 की पालना में की गई है । न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मोहनी देवी द्वारा संभागीय आयुक्त के यहां अपील भी पेश की गई थी, जो दिनांक [illegible] 2025 को निर्णीत हो चुकी है तथा मोहनी देवी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज हो चुकी है एवं अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर. बामनवास के आदेश दिनांक 5.10.2017 को

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यथावत् रखा गया है तथा यह भी कथन किए गए हैं कि एक बार न्यायालय द्वारा किसी मामले का निर्णय कर दिए जाने के उपरान्त मूल न्यायालय में उस मामले को चुनौती नहीं दी जा सकती । यहां यह भी स्पष्ट किया जाना समुचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीया मोहनी देवी द्वारा जिस तरमीम में संशोधन करवाना चाहा है, वह तरमीम न्यायालय के आदेश दिनांक 5.10.2017 की पालना में हुए हैं तथा जिस सम्बन्ध में मोहनी देवी द्वारा माननीय संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर में भी जो अपील पेश की गई थी, खारिज हो चुकी है । प्रार्थीया मोहनी देवी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है, ऐसे में प्रार्थीया मोहनी देवी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र उपरोक्तानुसार चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है ।

तदनुसार अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 3.7.2025 स्वीकार किए जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया मोहनी देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 14-1-26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

(प्रियंका कड़ेला)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.04.08 12:50:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner